न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 205 / 2019

भारतीय स्टेट बैंक,
स्ट्रेशड असेस्टस रीकवरी ब्रांच,
3rd फ्लोर, मेट्रिक्स मॉल, सेक्टर 4, जवाहर नगर,
जयपुर–302004 .....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(1) श्री शम्भू कुमार वैष्णव पुत्र श्री परशुराम वैष्णव
निवासीः– सावर, कुन्द गेट के पास, तहसील केकडी, जिला अजमेर।
.....अप्रार्थी / ऋणी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री अमित दाधिच अधिकृत प्रतिनिधि

आदेश दिनांक 29.11.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी श्री शम्भू कुमार वैष्णव पुत्र श्री परशुराम वैष्णव, पताः– सावर, कुन्द गेट के पास, तहसील केकडी, जिला अजमेर को दिनांक 16.09.2014 को 10,00,000 / –(अक्षरे दस लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्राथी / ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर कुन्द गेट के पास, ग्राम सावर पोस्ट सावर तहसील केकडी, जिला अजमेर स्थित पट्टा नं0 104 / 2001–2002 आवासीय सम्पत्ति, क्षैत्रफल 754.17 वर्गफीट है, जो श्री शम्भू कुमार वैष्णव पुत्र श्री परशुराम वैष्णव के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ हैः– उत्तर मेंः–राजाराम बैरांगी का नोहरा, दक्षिण मेंः–बलराम जी का प्लॉट, पूर्व मेंः–मंदिर का चौक, पश्चिम मेंः–आम रास्ता, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थी नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 08.06.2018 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 29.06.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये–10,05,405 / – (अक्षरे दस लाख पांच हजार चार सौ पांच मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रस्तुत किया गया।

अधिकृत प्रतिनिधि को सुना गया। अधिकृत प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति कुन्द गेट के पास, ग्राम सावर पोस्ट सावर तहसील केकडी, जिला अजमेर स्थित पट्टा नं0 104/2001–2002 आवासीय सम्पत्ति, क्षैत्रफल 754.17 वर्गफीट है, जो श्री शम्भू कुमार वैष्णव पुत्र श्री परशुराम वैष्णव के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ हैः– उत्तर में:–राजाराम बैरांगी का नोहरा, दक्षिण में:–बलराम जी का प्लॉट, पूर्व में:–मंदिर का चौक, पश्चिम में:–आम रास्ता, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 29.11.2019 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner